अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की पचासवीं (50वीं) बैठक डा. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 24 जनवरी, 2012 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 584 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 381 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,49,630.82 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 8,15,308 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, एसईजेड से 3,15,867.85 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2009-10 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 43.11 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक (अर्थात 31 दिसंबर, 2011 तक) कुल 2,60,972.89 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है।

मद संख्या 50.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) 40.469 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी एवं आईटीईएस / बीपीओ / केपीओ के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 31 दिसंबर, 2011 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 40.469 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी एवं आईटीईएस / बीपीओ / केपीओ के लिए क्षेत्र विशिष्ट शेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) वेलिंगटन द्वीप के दक्षिणी छोर, सर्वे नंबर 2578/4, 1166, तोप्पुमपदी रामेशरम गांव, कोचीन, केरल में 40.85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) स्थापित करने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। केरल सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 28 नवंबर, 2011 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने वेलिंगटन द्वीप के दक्षिणी छोर, सर्वे नंबर 2578/4, 1166, तोप्पुमपदी रामेशरम गांव, कोचीन, केरल में 40.85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) स्थापित करने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में पोन्नाडा, मुलापेटा, रामनक्कापेटा गांव में 1013.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 25 नवंबर, 2011 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में पोन्नाडा, मुलापेटा, रामनक्कापेटा गांव में 1013.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) 104.373 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कालकुरूचि, चंद्रन कुलम और मल्लानकिनारी, कारियापाटी तालुक, विरूधनगर जिला, तमिलनाडु में ग्रेनाइट के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स पीआरपी ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। तमिलनाडु सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 02 दिसंबर, 2011 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने 104.373 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कालकुरूचि, चंद्रन कुलम और मल्लानकिनारी, कारियापाटी तालुक, विरूधनगर जिला, तमिलनाडु में ग्रेनाइट के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स पीआरपी ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) 11.50675 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम मंजरी बुद्रक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने तक प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 50.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार

होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों के साथ पट्टा विलेख / प्रारूप विलेख संलग्न होना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ विकासक एवं प्रस्तावित सह विकासक के बीच वित्तीय लेनदेन / व्यवस्था का ब्यौरा होना चाहिए। प्रस्तावों पर निर्णय निम्नानुसार हैं :

(i) महरुमकुर्ड और चावर्धल गांव में मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सोलर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स एयर लिक्विड इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 1750 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में औद्योगिक एवं स्पेसियल्टी गैस उत्पादन तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण और के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एयर लिक्विड इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ii) मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में (प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा स्थापित करने के अनुरोध के विरुद्ध) 5000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने तथा खाद्य परीक्षण एवं प्रमाणन सेवाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा सह विकासक द्वारा उक्त सुविधा में किए गए डीटीए लेनदेन के लिए अलग लेखा बही तैयार की जाएगी।

(iii) मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स बेसिक्स एकाडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एंप्लायबिलिटी (बी-एबल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में (प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा स्थापित करने के अनुरोध के विरुद्ध) 2000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स बेसिक्स एकाडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एंप्लायबिलिटी (बी-एबल) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा सह विकासक द्वारा उक्त सुविधा में किए गए डीटीए लेनदेन के लिए अलग लेखा बही तैयार की जाएगी।

(vi) मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स विल्लावरयार एंड संस का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 1 एकड़ के क्षेत्रफल में 100 टन के तौल सेतु की स्थापना, इंस्टालेशन एवं प्रचालन के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स विल्लावरयार एंड संस के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(v) ग्राम अटिप्रा, तालुक एवं जिला तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स - केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स वर्टस आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि सह विकासक करार से काफी पहले पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संबंध में विकास आयुक्त, सीएसईजेड से रिपोर्ट मांगी गई। इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया।

(vi) कोझीकोड जिला, केरल में मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स साइबर पार्क्स, कोझीकोड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 4.3 एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी अवसंरचना के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स साइबर पार्क्स, कोझीकोड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(vii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल) का अनुरोध

डीजीईपी ने बताया कि एसईजेड में 4 कंटेनर टर्मिनल पहले से ही प्रचालन में हैं तथा एक और टर्मिनल स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया, जिसने टिप्पणी की कि ऐसे प्रस्तावों को केवल गैर आर्थिक लाभप्रदता के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब निजी विकासक द्वारा निवेश किया जा रहा है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि 28 नवंबर 2018 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने इस आधार पर प्रस्ताव का विरोध किया था कि सह विकासक को पट्टा पर देने के लिए प्रस्तावित भूमि सुधार के अधीन है और एसईजेड में भूमि के शामिल होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया था। विकास आयुक्त ने बताया कि प्रस्तावित साइट के निरीक्षण के बाद इस बात की पुष्टि की गई है कि उक्त भूमि अनुमोदित एसईजेड का हिस्सा है।

तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, मुंद्रा को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया जिसमें मौजूदा सीटीएस के लोकेशन का उल्लेख हो अर्थात यह एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में या गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित है। तद्नुसार मामले को आस्थगित कर दिया गया।

(viii) ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 2011 की याचिका संख्या 504, 505 और 506 में माननीय बांबे उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2011 के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों में विकासक कंपनी अर्थात मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल) का विलय हो गया है :

(i) मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल)
(ii) मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एनटीपीएल)
(iii) मैसर्स फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एफडीपीएल)

नई स्कीम में मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड का विकासक होगा और मैसर्स फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड सह विकासक के रूप में आएगा। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक करार के अनुसरण में संबद्ध विकास के साथ 5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 1.5 मिलियन वर्गफीट के आईटी स्थान के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ix) तालुक खेड एवं शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) लंधैकुलम गांव, मदुरै, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स चेल्ला साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि उन्हें विकासक और सह विकासक के बीच होने वाले प्रस्तावित पट्टा करार की प्रति प्राप्त नहीं हुई है जो प्रस्ताव के वित्तीय पहलुओं की जांच के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया तथा संबंधित विकास आयुक्तों को वाणिज्य विभाग को पट्टा करार की प्रति प्रदान करने का निदेश दिया गया। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों के साथ पट्टा विलेख / प्रारूप विलेख संलग्न होना चाहिए

जिसमें अन्य बातों के साथ विकासक एवं प्रस्तावित सह विकासक के बीच वित्तीय लेनदेन / व्यवस्था का ब्यौरा होना चाहिए।

मद संख्या 50.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) कच्छ, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मुंद्रा एलएनजी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**यूनिटों की संख्या**	**यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एलएनजी रिसीविंग टर्मिनल :			
	(क) जेट्टी प्लेटफार्म	----	एनए	1200
	(ख) ब्रेस्टिंग एंड मूरिंग डॉल्फिन	----	एनए	1100
	(ग) संपर्क ढांचा (रोडवे और पाइपिंग सहित)	----	एनए	14580
2.	एलएनजी भंडारण टैंक	----	एनए	12748
3.	पुन: गैसीकरण की सुविधाएं	----	एनए	19000

(ii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल) का अनुरोध

चूंकि सह विकासक बनने के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया है इसलिए सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल) का अनुरोध भी आस्थगित हो गया।

मद संख्या 50.4 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) हासन, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम (केआईएडीबी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 अक्टूबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 नवंबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) प्लाट नंबर सी-01, सेक्टर 67, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ओसीईई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 नवंबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) ग्राम भोंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एसेंडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त ने परियोजना की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश नहीं की है क्योंकि विकासक ने अधिसूचना के बाद परियोजना को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 नवंबर 2011 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

(v) छरोडी और ट्रागड गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 19 दिसंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 19 दिसंबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

मद संख्या 50.5 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से किए गए अनुरोध

(i) सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त ने परियोजना की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश नहीं की है क्योंकि विकासक ने अधिसूचना के बाद परियोजना को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 24 अक्टूबर, 2010 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

(ii) सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त ने परियोजना की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश नहीं की है क्योंकि विकासक ने अधिसूचना के बाद परियोजना को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 5 नवंबर, 2010 के बाद वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 50.6 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) डाकघर रेडी, जिला सिंहदुर्ग, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 दिसंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रेडी पोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 दिसंबर, 2012 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) अलीबाग, रायगढ़, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 नवंबर 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मुंबई फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक जोन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में क्विप्पो इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट लिमिटेड) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 नवंबर, 2012 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 50.7 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) डेनकारूकोट्टई तालुक, होसुर, तमिलनाडु में एमआरओ सहित एयरपोर्ट / एविएशन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 नवंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 20 नवंबर, 2012 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकासक बढ़ाई गई अवधि के अंदर औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन करे क्योंकि इसके बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि तीसरी बार के बाद एसईजेड के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

मद संख्या 50.8: पांचवे साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटो कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगाल एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध

पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तारीख से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 21 जून 2012 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकासक बढ़ाई गई अवधि के अंदर औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन करे क्योंकि इसके बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

मद संख्या 50.9 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) नगवारा गांव, बंगलौर उत्तर तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 6.187 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को शामिल करने तथा इतने ही क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह अनुमोदन एसईजेड की

सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

(ii) बल्लंदपुर गांव, वर्थुर होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने एसईजेड में 2.023 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 14.696 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है।

मद संख्या 50.10 : गुड़गांव, हरियाणा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए 2 अप्रैल 2011 के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार करने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

आवेदक के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया। तथापि, विकासक का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि न बढ़ाने के संबंध में 31 मई 2011 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदक के अनुरोध को उपयुक्त नहीं पाया। तद्नुसार, अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

मद संख्या 50.11 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम मलूमिचामपट्टी, कोयंबटूर दक्षिण तालुक, जिला कोयंबटूर, तमिलनाडु में 11.0388 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 11.0388 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम मलूमिचामपट्टी, कोयंबटूर दक्षिण तालुक, जिला कोयंबटूर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 50.12 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) दबग्राम, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विडियोकॉन रियलिटी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने दबग्राम, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स विडियोकॉन रियलिटी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने यथास्थिति एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसने प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 50.13 : सह विकासक का दर्जा वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए प्रदान किए गए सह विकासक के दर्जा को वापस करने के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए प्रदान किए गए सह विकासक के दर्जा को वापस करने के लिए मैसर्स डीएलएफ युटिलिटीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि पिछले विकासक अर्थात मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड की 100 प्रतिशत इक्विटी अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी से मैसर्स बीआरई/मारीशस इनवेस्टमेंट 2 को हस्तांतरित कर दी गई है। सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि चूंकि विधिक दस्तावेज के माध्यम से सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया है इसलिए विधिक दस्तावेज के माध्यम से ही इस स्टेटस को वापस लिया जा सकता है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित के अधीन उपर्युक्त दो प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की :

i) विकास आयुक्त सीबीडीटी को विकासक की इक्विटी के हस्तांतरण से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
ii) विकास आयुक्त यह प्रमाणित करेगा कि यथास्थिति सह विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या उनको वापस कर दिया है।

मद संख्या 50.14 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) हासन जिला, कर्नाटक में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर "आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर" से बदलकर "चिकित्सा तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपभोज्य वस्तुओं

सहित उपकरणों, डिवाइसों, असेसरीज का विनिर्माण" करने के लिए मैसर्स ऑप्टो इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि नए सेक्टर की प्रस्तावित परिभाषा को एसईजेड अधिनियम के तहत परिकल्पना के अनुसार विशिष्ट सेक्टर के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि सेक्टर को अधिक विशिष्ट ढंग से परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि सुनिश्चित हो कि यह क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के प्रावधानों के अनुसार हो। तद्नुसार, इसके बाद विकासक ने 'चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपकरणों, डिवाइसों, असेसरीज तथा उपभोज्य वस्तुओं का निर्माण' के रूप में सेक्टर को परिभाषित करने और अनुमोदन बोर्ड के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, एसईजेड का सेक्टर बदलकर "चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपकरणों, डिवाइसों, असेसरीज और उपभोज्य वस्तुओं का विनिर्माण" करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(ii) कलवारा गांव, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर "आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित लाइट इंजीनियरिंग" से बदलकर "आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित इंजीनियरिंग" करने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि नए सेक्टर की प्रस्तावित परिभाषा को एसईजेड अधिनियम के तहत परिकल्पना के अनुसार विशिष्ट सेक्टर के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि सेक्टर को अधिक विशिष्ट ढंग से परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि सुनिश्चित हो कि यह क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के प्रावधानों के अनुसार हो। तद्नुसार, इसके बाद विकासक ने 'इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग' के रूप में सेक्टर को परिभाषित करने और अनुमोदन बोर्ड के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा पहले इस प्रकार के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अनुमोदित किए गए हैं। तद्नुसार, एसईजेड का सेक्टर बदलकर "इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग" करने के लिए मंजूरी प्रदान की जाती है।

(iii) त्रिवेंद्रम, केरल में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर "आईटी (एनिमेशन एवं गेमिंग)" से बदलकर "आईटी / आईटीईएस" करने के लिए किनफ्रा इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कार्पोरेशन का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड का सेक्टर 'आईटी (एनिमेशन एवं गेमिंग)' से बदलकर 'आईटी / आईटीईएस' करने के लिए किनफ्रा इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कार्पोरेशन के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 50.15 : तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 22 दिसंबर 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए रविरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेमीकंडक्टर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स एंबेडेड आईटी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 22 दिसंबर, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 31 दिसंबर 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कुमार आर्गेनिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो केआईएडीबी (फार्मा) एसईजेड, हासन, कर्नाटक की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 50.16 : पांचवे साल के बाद यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 15 अगस्त, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पिडिलाइट इंडस्ट्रियल लिमिटेड (पीआईएल) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 15 अगस्त, 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 3 दिसंबर 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो विलानकुरिची गांव, कोयंबटूर, तमिलनाडु में ईएलसीओटी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 3 दिसंबर, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 5 मार्च 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी2-सी3 प्रोजेक्ट - दाहेज जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 5 मार्च, 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 50.17 : "फेरो मैगनीज स्लैग" जो प्रतिबंधित मद है, के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड जो अत्चुतापुरम, विशाखापट्टनम में एपीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित कर दिया क्योंकि नियोजित आयात / निर्यात गतिविधि की संपूर्ण श्रृंखला तथा डीटीए प्रभाव, यदि कोई हो, के संबंध में ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था। विकास आयुक्त स्पष्ट कर सकते हैं।

विधिक स्रोतों से आवंटित किए गए / खरीदे गए रेड सैंडर्स वुड से मूल्यवर्धित उत्पाद के निर्माण और निर्यात के लिए वीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स जितान ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और मैसर्स रॉकी रेड सैंडल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट्स का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने वीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स जीतन ट्रेडिंग कार्पोरेशन और मैसर्स रॉकी रेड सैंडल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट्स के अनुरोध को स्वीकार न करने के संबंध में 31 मई 2011 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने के अनुरोध में कोई औचित्य नहीं पाया। तदनुसार, अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया।

मद संख्या 50.19 : अनुमोदन पत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स एसआईएमएस रीसाइकलिंग सोल्यूशंस इंडिया जो एनएसईजेड एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि मैसर्स एसआईएमएस रिसाइकलिंग सोल्यूशंस ने यह वचन दिया है कि वे ई-वेस्ट से मेटल का निष्कर्षण करेंगे और कोई डीटीए लेनदेन नहीं करेंगे। तथापि, विकास आयुक्त (प्रभारी), एनएसईजेड द्वारा सूचित किया गया कि एलओपी की मौजूदा शर्तों के साथ उक्त वचन पत्र का पालन नहीं किया गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि को निदेश दिया कि वे अग्रेतर जांच के लिए यूनिट द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी संगत दस्तावेज / वचन पत्र एनएसईजेड को प्रस्तुत करें। तदनुसार अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 50.20 : मंजूरी पत्र के विलय के लिए मैसर्स एलिगेंट कलेक्शन जो एसईईपीजेड एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लेने तथा पुनर्विचार करने के लिए प्रस्ताव को वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास भेज दिया।

मद संख्या 50.21 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) अपने लोकेशन को इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड - एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एमडब्ल्यूसी - आईटी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में यूनिट की शिफ्टिंग पर आयकर अधिनियम की धारा 10एए के तहत कटौती को अनुमत करना शामिल है। सीबीडीटी के परामर्श से वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर निर्णय के लिए समान प्रकृति के मामले आस्थगित किए गए थे। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने सभी संगत तथ्यों एवं मुद्दों पर विचार करने के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर निर्णय लेने के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एमडब्ल्यूसी-आईटी एसईजेड की यूनिट है, के अपने लोकेशन को इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड के एसईजेड में शिफ्ट करने के अनुरोध को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 50.22 : एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स आलपस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने वाणिज्य विभाग द्वारा प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के संबंध में तैयार की जा रही नीति के अधीन 31 मार्च 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई। यह अनुमोदन इस शर्त पर भी आधारित था कि यूनिट सभी मुकदमे वापस लेगी और एसईजेड के संबंध में सभी बकाया देयों को क्लियर करेगी।

मद संख्या 50.23 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) नाम बदलकर मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि एसईजेड की अधिसूचना के बाद कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन हुआ है। 15 जनवरी 2009 को अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स जेपी मोर्गन इंडिया प्रापर्टी मारीशस कंपनी 2 (जेपीएम) द्वारा एफडीआई के कारण इक्विटी में इस परिवर्तन का संज्ञान लिया था। इसके बाद नियंत्रक शेयर और शेयरधारकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हालांकि शेयर होल्डिंग के पैटर्न में मामूली परिवर्तन हुआ है। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मंजूरी प्रदान की।

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को सदस्य (आईटी), सीबीडीटी को तत्काल इक्विटी के अंतरण का वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया जिसके लिए 15 जनवरी 2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी।

(ii) नाम बदलकर मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड करने के लिए मैसर्स इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि मैसर्स इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड ने बस अपना नाम बदलकर मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड कर लिया है और कंपनी की शेयर होल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने निम्नलिखित एसईजेड में जहां यह विकासक है, नाम बदलकर मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड करने के लिए मैसर्स इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	सेक्टर / लोकेशन	अधिसूचना की तिथि	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	11 अगस्त, 2006	10.53
2.	ग्राम उथुकुली, जिला एरोड, तमिलनाडु में टेक्सटाइल एसईजेड	9 जून, 2008	103.6457

(iii) मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की शेष 49 प्रतिशत इक्विटी मैसर्स एलएंडटी अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एलएंडटी यूआईएल) को ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मैसर्स एलएंडटी यूआईएल को मूल विकासक की 51 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी और अब मैसर्स अरुण एक्सेलो (मूल विकासक) ने विकासक संस्था में कंपनी द्वारा धारित शेष 49 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री करके इस संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने इसके द्वारा धारित शेष 49 प्रतिशत इक्विटी मैसर्स एलएंडटी अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसे मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(क) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ख) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(ग) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(घ) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेंगे जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(iv) कंपनी के डिमर्जर जिससे तीन कंपनियों का जन्म होगा, तथा एक डिमर्ज कंपनी को अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि नवगठित कंपनियों के बीच नई व्यवस्थाओं के वित्तीय ब्यौरे जांच के लिए उपलब्ध कराए जाएं। इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया तथा विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को निदेश दिया गया कि वे सीबीडीटी को आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करें।

(v) मैसर्स एक्सेलस्टार वेंचर्स 1 एलएलसी को संपूर्ण इक्विटी शेयर होल्डिंग का 50 प्रतिशत अंतरित करने के लिए मैसर्स रसई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित के अधीन पारिगी एवं सेरीकोकुम गांव, पारिगी मंडल, सी कोडिगेपल्ली गांव, मडकासारा मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकासक मैसर्स रसई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 50 प्रतिशत शेयर मैसर्स एक्सेलस्टार वेंचर्स 1 एलएलसी को हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(क) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ख) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(ग) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(घ) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेंगे जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसे मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(vi) मैसर्स एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक्सटीएसआई) को अपनी शेयर होल्डिंग का 100 प्रतिशत अंतरित करने के लिए सह विकासक मैसर्स कैंब्रिज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीबीपीएल) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि सह विकासक (जो एक्सचेंजिंग ग्रुप की कंपनी है) ने अब एक्सचेंजिंग ग्रुप के अंदर आंतरिक पुनर्गठन के अंग के रूप में मैसर्स एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक्सचेंजिग ग्रुप कंपनी भी) को अपनी 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग अंतरित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि जांच के लिए ग्रुप की कंपनियों के बीच नई व्यवस्था के वित्तीय ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं। इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया तथा विकास आयुक्त, सीएसईजेड को निदेश दिया गया कि वे सीबीडीटी को आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करें।

मद संख्या 50.24 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स सन एरोमेटिक्स की अपील

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता फर्म एसईजेड में प्रस्तावित व्यवसाय परियोजना के लिए विशिष्ट कानूनी संस्था है तथा केवल इस कारण से एसईजेड यूनिट स्थापित करने के अधिकार से वंचित करना अनुचित है कि प्रमोटरों में से एक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने डीजीईपी को कारण बताओ नोटिस, इसके स्वरूप एवं विशालता की जांच करने तथा अनुमोदन बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 50.25 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्वेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सीबीईसी के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए मामले की जांच करने हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने उनको 5 फरवरी 2012 तक अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का निदेश दिया, इसके बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले की जांच की जाएगी।

मद संख्या 50.26 : मोबाइल फोन, पार्ट्स एवं असेसरीज के लिए ट्रेडिंग तथा भंडारण सेवाओं के लिए न्यू नोकिया एसईजेड यूनिट द्वारा डीटीए में आईटी उत्पादों की आपूर्ति के लिए आईएनआर की प्राप्ति के संबंध में स्पष्टीकरण

सीबीईसी के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए मामले की जांच करने हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने उनको तीन सप्ताह अर्थात 15 फरवरी 2012 तक का समय दिया। इसके बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले की जांच की जाएगी।

******